केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि
	19.9.19	पत्रावली शीर्षक सुनवाई का स्थगित हो। पर पेश हुई, पक्षकारान वकील [illegible] प्रार्थना पत्र 15 का प्रार्थी अतिरिक्त है एवं प्रार्थी साक्ष्य। अतिरिक्त है। रिपोर्ट के साथ पेश हुआ जो स्वीकार है प्रार्थी की तरफ से मौके की [illegible] रिपोर्ट मंगवाने का पेश हुआ। जिसकी प्रति प्रार्थी को दे दी गयी। प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट पर पक्षकारान वकील [illegible] बहस सुनी गयी व पुस्तक प्रार्थी साक्ष्य द्वारा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तो एक फील्ड की [illegible] का मामला है जिसमें साविल [illegible] से अवलोकन दिया जाना सम्बन्ध अंकित किया गया है इस प्रकार मौके पर पाया जाना जरूरी व अवलोकन दिया जाना ही शेष है ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थना मौका रिपोर्ट में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र [illegible] रिपोर्ट में स्वीकार किया जाकर [illegible] पक्षकारान वकील की [illegible] आदेश पत्रावली दिनांक 20.9.19 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:06:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)
19.9.19

निर्णय अथवा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30.9.19	पत्रावली पेश हुई प्रस्तुतकर्ता द्वारा दी प्रार्थना पत्र 151 के साथ प्रार्थना पत्र 312 का भी निर्णय किया गया जो प्रार्थना पत्र 312 खारिज किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर सामिल है। प्रार्थना पत्र 312 का खारिज किये जाने के कारण आदेश दिनांक 8.8.19 का प्रभावहीन हो गया है। पत्रावली बाद तकमील सावित दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:06:18 IST
Reason: SelfAttested